राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्

शैक्षणिक क्रेडिट बैंक

अधिसूचना

फा. सं. 22003/01/2024/एनसीवीईटी - एनसीवीईटी अधिसूचना सं. एसडी-17/113/2017-ई एंड पीडब्ल्यू के पैरा 19 "दिशानिर्देश तैयार करने की शक्तियां" (उप पैरा 1, 4 और 5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एनसीवीईटी एतदद्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश तैयार करती है, अर्थात -

1. संक्षिप्त नाम, प्रयोग और प्रारंभ -

- इन दिशानिर्देशों को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् ***(व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल (वीईटीएस) में शैक्षणिक क्रेडिट बैंक की स्थापना और संचालन) दिशानिर्देश, 2024*** कहा जाएगा।

i. ये दिशानिर्देश वीईटीएस और संगत क्रियाकलापों के कार्यान्वयन में शामिल सभी मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों और संस्थानों के लिए लागू होंगे।

ii. ये भारत के राजपत्र में उनकी अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन दिशानिर्देशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

i. "**शैक्षणिक क्रेडिट बैंक**" केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से स्थापित एक डिजिटल/ वर्चुअल/ऑन लाइन संस्था है, जो एक छात्र/ शिक्षु द्वारा एकेडमिक से सीख कर, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल (वीईटीएस) से सीख कर तथा अनुभव से सीख कर अर्जित किए गए सभी प्रकार के क्रेडिट को रखने (स्टोर करने) के लिए है। शैक्षणिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) में छात्र/शिक्षु के शैक्षणिक और कौशल

संबंधी डेटा तथा अर्जित किए गए अवार्ड को रखा (स्टोर किया) जाएगा और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के प्रावधानों के अधीन वितरित और लचीले तरीके से सिखाने-शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट मान्यता, क्रेडिट संचयन, क्रेडिट हस्तांतरण और क्रेडिट रिडेम्पशन की एक औपचारिक प्रणाली के माध्यम से संस्थानों के बीच अथवा संस्थानों के भीतर बिना अवरोध के हस्तांतरण में सुविधा प्रदान करेगा।

ii. "**शैक्षणिक क्रेडिट खाता बैंक**" से तात्पर्य छात्र/ शिक्षु द्वारा एक ऐसे विशिष्ट स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर) आईडी के माध्यम से खोले गए और संचालित किए गए शैक्षणिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) के व्यक्तिगत खाते से है, जिसमें अवार्डिंग संस्थान द्वारा डिग्री, डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र जैसे उचित अवार्ड के प्रयोजन के लिए छात्र/ शिक्षु द्वारा वीईटीएस पाठ्यक्रमों से अर्जित किए गए सभी क्रेडिट्स को जमा किया जाता है, रखा जाता है, मान्य किया जाता है, अनुरक्षित किया जाता है, संचयित किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है, वैधीकृत किया जाता है या रिडीम किया जाता है।

iii. "**क्रेडिट**" छात्र अथवा शिक्षु को किसी अर्हता, नौकरी की भूमिका अथवा शिक्षण के पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए दी गई मान्यता अथवा स्वीकृति के संदर्भ में है, जो राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस), माइक्रो क्रेडेंशियल (एमसी), नेनो क्रेडेंशियल (एनसी) अथवा अर्हता के अनुसार है। यह मान्यता एक विशिष्ट स्तर के राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) अथवा राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) पर पूर्वनिर्धारित परिणामों के आधार पर है, जो शिक्षण के प्राप्त परिणामों के सफलतापूर्वक मूल्यांकन पर निर्भर करता है।

iv. **"क्रेडिट प्वाइंट"** एनसीआरएफ के अनुसार एनसीआरएफ स्तर पर अर्जित किए गए कुल क्रेडिट है, जिसे एनसीआरएफ स्तर से गुणा किया जाता है।

v. **"क्रेडिट संचयन"** से तात्पर्य मूल्यांकन बैंड के भीतर छात्र/ शिक्षु द्वारा अर्जित किए गए क्रेडिट को, छात्र/ शिक्षु के शैक्षणिक खाता बैंक में दर्शाए गए एबीसी में

रख कर इसका भंडारण, हस्तांतरण अथवा रिडेम्प्शन करने की सुविधा के लिए संचयन करने से है।

vi. **"क्रेडिट रिडेम्प्शन"** से तात्पर्य अधिकृत किए गए मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय द्वारा प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा अथवा डिग्री (यदि लागू हो) प्रदान करने के लिए अथवा एक मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय (एबी) द्वारा प्रस्तावित अन्य अर्हता, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस), माइक्रो क्रेडेंशियल (एमसी) अथवा नेनो क्रेडेंशियल (एनसी) के लिए प्रयास करने के लिए क्रेडिट अपेक्षाओं की पूर्ति करने के प्रयोजन के लिए छात्र/ शिक्षु के एबीसी खाते में अर्जित किए गए क्रेडिट के हस्तांतरण की प्रक्रिया से है।

vii. **"क्रेडिट हस्तांतरण"** से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसके द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय एबीसी पंजीकरण वाले किसी संस्थान में पंजीकृत छात्र/ शिक्षु द्वारा प्राप्त एनसीक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित वीईटीएस पाठ्यक्रम/ अर्हताओं के लिए एनसीवीईटी मानकों के अनुसार एक व्यक्तिगत शैक्षणिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) खाते के लिए निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने अथवा प्रदान करने के लिए सक्षम है।

viii. **"परिषद्"** से तात्पर्य संकल्प के पैरा 2 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् से है और शिक्षु अधिनियम (1961 का अधिनियम संख्यांक 52) की धारा 2 की उप धारा (1) में यथा परिभाषित राष्ट्रीय परिषद् के लिए सभी संदर्भों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

ix. **"मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय (एबी)"** से तात्पर्य एक ऐसी संस्था से है, जिसे परिषद् द्वारा गुणवत्ता प्रशिक्षण और विश्वसनीय मूल्यांकन सुनिश्चित करके उसके द्वारा विकसित की गई अथवा अपनाई गई एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हता, एनओएस, एमसी अथवा एनसी के लिए वीईटीएस प्रशिक्षण और मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्रशिक्षुओं/छात्रों/शिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

x. "**मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एजेंसी (एए)"** से तात्पर्य एक ऐसी संस्था से है, जो पैरा 25 के उप पैरा (6) के तहत परिषद् से मान्यता प्रदान करने वाले करार के

लिए पक्षकार है और जिसे मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण अथवा जांच करने की अनुमति है, और जिसे यह मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण या परीक्षा आयोजित करने की अनुमति है कि क्या किसी प्रशिक्षु/शिक्षु ने किसी मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय द्वारा अर्ह प्रमाणित किए जाने की अपेक्षाओं को पूरा किया है।

xi. “**छात्र/शिक्षु”** ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में हैं, जो एनसीवीईटी द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर वीईटीएस संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।

xii. **“शिक्षण के परिणाम”** यह दर्शाते हैं कि एक छात्र/शिक्षु शिक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्या जानता है, समझता है और कार्य निष्पादन करने के लिए समर्थ हैं और जिसे ज्ञान, कौशलों, क्षमताओं, कौशलों और उत्तरदायित्वों के संदर्भ में व्यक्त किया जाएगा।

xiii. **“राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति” अथवा “एनएसक्यूसी”** एनएसक्यूएफ के अंतर्गत अर्हताओं के अनुमोदन के लिए स्थापित और एनसीवीईटी में स्थित शीर्ष समिति के संदर्भ में है।

xiv. **“अर्हता”** से तात्पर्य एक कौशल सक्षमता से है, जिसके संबंध में एनएसक्यूसी ने अर्हता पैकेज, एनओएस, एमसी अथवा एनसी अनुमोदित किया गया है। मूल्यांकन और वैधता प्रक्रिया के आधार पर अर्हता अर्जित करने के परिणामस्वरूप प्राप्त एक औपचारिक शिक्षण का परिणाम प्राप्त किया जाता है, जब एक सक्षम निकाय अर्थात मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय (दोहरी) अथवा एक मान्य्ता प्राप्त मूल्यांकन एजेंसी यह निर्धारित करती है कि ऐसे व्यक्ति ने निर्धारित/ किए गए मानकों के निर्धारित शिक्षण के परिणाम प्राप्त किए हैं।

xv. **राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस)”** एनओएस एक विशिष्ट कार्य में लगे किसी व्यक्ति से अपेक्षित मापन योग्य प्रदर्शन परिणामों को परिभाषित करता है और उस कार्य को करने वाले व्यक्ति को क्या जानकारी होनी चाहिए और उसे क्या करना चाहिए, उसका उल्लेख करता है। इन कार्यों के अनुसार सभी एनओएस का संयोजन होने से उस नौकरी की भूमिका के लिए अर्हता तैयार की जाएगी।

xvi. **माइक्रो-क्रेडेंशियल”** माइक्रो क्रेडेंशियल का उद्देश्य कौशलों और ज्ञान के अनुकूल सेट की उपलब्धि को प्रमाणित करना है, जिसे एक प्रयोजन के विवरण, शिक्षण के परिणामों और उद्योग, कर्मचारियों अथवा सरकार द्वारा अपेक्षित सशक्त साक्ष्य द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

xvii. **नैनो- क्रेडेंशियल”** नेनो क्रेडेंशियल माइक्रो क्रेडेंशियल से छोटा होता है, जिसमें अनेक माइक्रो क्रेडेंशियल की क्षमता है। नेनो क्रेडेंशियल 7.5 घंटे से कम का होना चाहिए और विशेष कौशल सेटों पर अधिक केंद्रित होता है। ये अल्ट्रा निर्दिष्ट क्रेडेंशियल एक विशिष्ट क्षेत्र में संक्षिप्त कौशल अथवा ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार किए गए हैं और मुख्य रूप से कौशल उन्नयन के लिए प्रयोग किए जाते हैं।

xviii. **“पूर्व शिक्षण की मान्यता” अथवा “आरपीएल”** से तात्पर्य वीईटीएस अर्हता प्राप्त करने के लिए पूर्व शिक्षण अनुभव अथवा कौशलों वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन और प्रमाणीकरण करने से है।

xix. **“क्षेत्र”** से तात्पर्य एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमुख आर्थिक कार्य, उत्पाद, सेवा अथवा प्रौद्योगिकी पर आधारित व्यावसायिक क्रियाकलापों के समूह से है।

xx. **“ज्ञान”** शिक्षण के माध्यम से समावेशी सूचना के परिणाम के संदर्भ में है। इसमें कार्य, कौशल अथवा अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र के संबंध में, तथ्य, सिद्धांत, परिकल्पनाएं और प्रयोग शामिल हैं। ज्ञान को आनुभविक साक्ष्य और प्रत्यक्ष घटना के आधार पर संकल्पना के सार के संबंध में सैद्धान्तिक के रूप में और परिकल्पना अथवा तथ्यात्मक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

xxi. **“कौशल”** कार्यों को करने, सेवाएं प्रदान करने और समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञान का उपयोग करने और विशेषज्ञता का प्रयोग करने की क्षमता और योग्यता के संदर्भ में है। कौशलों को या तो संज्ञानात्मक के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसमें तार्किक, सहज और रचनात्मक सोच शामिल है, या व्यावहारिक के रूप में, जिसमें मानवीय निपुणता और विधियों, सामग्रियों, उपकरणों और साधनों का प्रयोग शामिल है।

xxii. **"प्रशिक्षक"** एक ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में है, जो ऐसी प्रक्रिया को प्रशिक्षित करता है, निर्देश देता है, सिखाता है या सुसाध्य बनाता है, जिसके द्वारा छात्र या शिक्षु किसी योग्यता के अपेक्षित शिक्षण के परिणामों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं। "प्रशिक्षक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो शिक्षु को योग्यता हासिल करने के लिए उचित ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करता है, निर्देश देता है, पढ़ाता है या अन्यथा सक्षम बनाता है।

xxiii. **"प्रशिक्षण प्रदाता", "प्रशिक्षण निकाय" अथवा "संस्था" और "संस्थान"** से तात्पर्य एक ऐसे संगठन से है, जो कि किसी एनएसक्यूएफ संरक्षित एवं अनुमोदित अर्हता के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय के साथ संबद्ध है।

xxiv. **"व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल (वीईटीएस)"** से तात्पर्य सभी कौशल विकास कार्यक्रमों, दीर्घावधिक और अल्पावधिक, दोनों, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण की मान्यता से है, जो परिषद् द्वारा प्रमाणित है, लेकिन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का क्रमांक 52), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 3) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा कवर नहीं किए गए हैं।

xxv. कोई अन्य शब्द, जो यहां परिभाषित नहीं है, उसका वही तात्पर्य होगा, जो दिनांक 27 दिसंबर, 2013 की एनएसक्यूएफ अधिसूचना सं. 8/6/2013-आईएनवीटी में दिया गया है।

3. वीईटीएस में शैक्षणिक क्रेडिट बैंक की संरचना

i. **क्रेडिट्स की डिजिटल रिपॉज़िटरी के रूप में एबीसी:** शैक्षणिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) एक डिजिटल कोष है, जो इसके प्राथमिक हितधारक अर्थात छात्रों/शिक्षुओं द्वारा उनकी पूरी शैक्षणिक यात्रा के दौरान अर्जित क्रेडिट सूचना का भंडारण करता है। इसमें यह आवश्यक है कि मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय छात्रों/शिक्षुओं के क्रेडेंशियल का पंजीकरण करें और साथ ही उनके एपीएएआर आईडी भी सृजित करे। एबीसी क्रेडिट के हस्तांतरण में सुविधा प्रदान करता है, जिससे शिक्षुओं की संस्थानों के बीच निर्बाध रूप से आवाजाही सक्षम हो सके। राष्ट्रीय शैक्षणिक कोष

(एनएडी) द्वारा प्रेरित होकर, एबीसी एक गतिशील वेबसाइट के रूप में कार्य करता है, जो सभी वीईटीएस हितधारकों के लिए संचित क्रेडिट और उनके प्रबंधन के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए एक प्रचालनात्मक केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है।

ii. **खाता सृजन और पहुंच (एक्सेस):** एबीसी प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट डिजिटल शैक्षणिक बैंक खाता खोलने की अनुमति देता है, जिसमें उन्हें एक विशिष्ट अपार (एपीएआर) आईडी प्रदान की जाती है और मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तक एक्सेस मिलती है। शिक्षु को सामान्यतः भारत में और वैश्विक रूप से नियोक्ताओं/शैक्षिक संस्थानों के लिए उनके एबीसी डेटा की चुनिंदा पहुंच प्रदान करने की प्रक्रिया के साथ-साथ केवल देखने (व्यू ओनली) की एक्सेस होगी।

iii. **क्रेडिट अपेक्षाएं, विनियम और उपलब्ध संबंधित सेवाएं:** एबीसी शैक्षणिक और कौशल आधारित क्रेडिट के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करता है, जहां शिक्षु क्रेडिट सत्यापन, संचयन, हस्तांतरण और रिडेम्प्शन जैसी सेवाओं तक एक्सेस के लिए खातों का रखरखाव करते हैं। कोई भी कौशल डिप्लोमा, प्रमाण पत्र अथवा डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक क्रेडिट और अध्ययन घटक संबंधित नियामक, संस्थानों (स्कूल बोर्ड और एचईआई) अथवा अवार्डिंग निकाय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

iv. **नियामक अनुरूपता, प्रमाणीकरण और अधिकार:** एबीसी अप्रैल, 2023 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा अधिसूचित और एनसीवीईटी द्वारा यथा अंगीकृत राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के व्यापक दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है। एबीसी को केंद्र सरकार अथवा परिषद् द्वारा अधिकृत किया गया है और यह अवार्डिंग निकायों के रूप में मान्यता प्राप्त अथवा आगे की शिक्षा और रोजगार के प्रयोजनों के लिए वीईटीएस का कार्यान्वयन करने वाली संस्थाओं से शिक्षुओं द्वारा अर्जित किए गए क्रेडिट के रिकार्ड प्रदान करता है। एबीसी द्वारा क्रेडिट अथवा अवार्ड को अधिकृत किए जाने से एबीसी के पास पंजीकृत किसी मान्यता प्राप्त निकाय के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता।

v. **अर्हता, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन मानक:** पाठ्यक्रम सामग्री, शैक्षणिक प्रौद्योगिकियों, शिक्षण के नोशनल घंटे, निरंतर मूल्यांकन और नवोन्मेषी मूल्यांकन विधियों के लिए मानदंड का निर्धारण मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) की समावेशी, बहु-विषयक आवधारणा के अनुरूप किया जाएगा।

4. शैक्षणिक क्रेडिट बैंक के उद्देश्य और कार्य

i. **शिक्षु केंद्रीयता और गतिशीलता:** एबीसी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणालियों (वीईटीएस) में अंतर-विषय़क दृष्टिकोणों के साथ शिक्षु अनुकूल वातावरण को प्रोत्साहित करता है ताकि शिक्षुओं की अपेक्षाओं और हितों को प्राथमिकता दी जा सके। एबीसी शिक्षा और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर शिक्षुओं की गतिशीलता का समर्थन करता है, जो एक ऐसा क्रेडिट हस्तांतरण तंत्र प्रदान करता है, जो व्यक्तिगत रुप से शिक्षण का साधन प्रदान करता है। यह शिक्षुओं को प्रमाण पत्रों और डिप्लोमा से उन्नत डिप्लोमा और शैक्षणिक डिग्री अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है, जिसमें शैक्षणिक समतुल्यता, बहु प्रवेश व बहु निकासी और आजीवन शिक्षण के सिद्धांतों को शामिल किया गया है।

ii. **विषय संबंधी एकीकरण और स्वायत्तता:** एबीसी विभिन्न विषयों के एकीकरण को बढ़ावा देता है। रचनात्मक नवाचार और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाता है और छात्रों को उनके वांछित शिक्षण के परिणाम प्राप्त करने में सहायता करता है।

iii. **शिक्षा में लचीलापन और निरंतरता :** एबीसी अनेक प्रवेश और निकास बिंदुओं की अनुमति देता है, जिससे छात्रों को योग्य होने पर प्रमाण पत्र या डिप्लोमा के लिए अर्जित किए गए क्रेडिट को भुनाने का अवसर मिलता है। एबीसी में शिक्षुओं को उनकी शिक्षण की गति के अनुसार अपने पाठ्यक्रम का चयन करने की अनुमति दी गई है, जिसमें उन्हें उसी या किसी अन्य संस्थान में क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा मिलती है, जो उस संबंधित संस्थान में प्रवेश मानदंडों और सीट की उपलब्धता के अध्यधीन है जिससे विभिन्न शैक्षणिक मान्यताएं जैसे प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, उन्नत डिप्लोमा अथवा डिग्री अर्जित होती है।

iv. **अंतर-विषयक संबंध:** एबीसी ज्ञान और कौशल के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने में सक्षम बनता है, जिससे शिक्षुओं को ठोस आधार और आवश्यक निर्माण खंड स्थापित करने में मदद मिलती है, जिससे उन्हें अपने जीवन और कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है, और साथ ही औपचारिक तथा अनौपचारिक, दोनों प्रकार के शिक्षुओं सहित सभी के लिए आजीवन शिक्षण के अवसरों को बढ़ावा मिलता है।

v. **शिक्षा और कौशल व्यवस्था पर प्रभाव:** एबीसी का लक्ष्य शिक्षा और कौशल क्षेत्रों को अधिक सुलभ, न्यायसंगत, किफायती, लचीला, निरंतर और जीवंत बनाना है, जिससे कि इन प्रणालियों की समग्र गुणवत्ता और जबावदेही में वृद्धि हो सके।

vi. **क्रेडिट प्रदर्शन और दस्तावेजीकरण:** शैक्षणिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) पंजीकृत अवार्डिंग निकायों द्वारा, प्रशिक्षण पूरा करने के लिए दिए गए क्रेडिट को प्रदर्शित करेगा, जो छात्र के एबीसी खाते में दिखाई देगा। एबीसी केवल पंजीकृत अवार्डिंग निकायों से सीधे ही क्रेडिट संबंधी दस्तावेज स्वीकार करेगा, छात्रों से नहीं।

vii. **पंजीकरण और खाता प्रबंधन:** एबीसी अवार्डिंग निकायों के पंजीकरण के साथ-साथ शैक्षणिक क्रेडिट बैंक खातों के खोलने, बंद होने और उनको वैध करने की देखरेख करेगा। यह हितधारकों के बीच अपनी भूमिका को बढ़ावा देते हुए छात्रों के लिए क्रेडिट सत्यापन, संचयन और हस्तांतरण या रिडेम्प्शन का भी प्रबंधन करेगा।

viii. **कार्यों का दायरा:** एबीसी के कार्यों में न केवल भौतिक मोड में दिए जाने वाले कौशल पाठ्यक्रम शामिल हैं, बल्कि ऑनलाइन या हाइब्रिड प्रारूप में दिए जाने वाले पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। यह विभिन्न वर्तमान और भावी सिखाने-सीखने के मॉडलों को एकीकृत करेगा।

ix. **क्रेडिट वैधता:** अर्जित किए गए क्रेडिट की वैधता वीईटीएस में एनसीआरएफ को लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में परिभाषित की जाएगी। राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर) पर प्रत्येक एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हता/ एनओएस/ एमसी/ एनसी में एक संबद्ध वैधता घटक होता है। क्रेडिट वैधता की अवधि अर्हता की विशिष्ट दक्षताओं या शिक्षण के परिणामों पर निर्भर करेगी।

x. **वीईटीएस में महत्व:** व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास (वीईटीएस) के संदर्भ में एबीसी निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है :

क. एनसीआरएफ के अनुसार इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, प्रशिक्षुता, पूर्व शिक्षण मान्यताओं और ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण सहित शैक्षणिक, व्यावसायिक और अनुभव जन्य शिक्षा से **क्रेडिट को टैक करना**।

ख. छात्रों को डिप्लोमा सहित सभी प्रकार के कौशलों, कार्यक्रमों और स्टेंडअलोन मोड में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों के द्वारा **अर्जित किए गए क्रेडिट को स्टोर करने और भुनाने** के सक्षम बनाना।

ग. क्रेडिट हस्तांतरण के माध्यम से **छात्र गतिशीलता को सक्षम बनाना**, शिक्षण में लचीलापन बढ़ाना।

घ. छात्रों को क्रेडिट संचयन, हस्तांतरण और रिडेम्प्शन के माध्यम से **अपनी शिक्षा को अनुकूल बनाने और विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता** हासिल करने की सुविधा प्रदान करना। अपनी गति से शिक्षण में सक्षम बनाना, बशर्ते कि शिक्षण के परिणामों को मूल्यांकन के माध्यम से पूरा किया जाए।

ङ. एनसीआरएफ रिपोर्ट के खंड 3.2.5 में यथा उल्लिखित कक्षा, प्रयोगशाला कार्य, परियोजनाओं, परीक्षा और आकलनों, खेलों, संगीत, सामुदायिक कार्य, जीवन कौशल आधारित शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा/ कौशलों, मूल्य आधारित शिक्षा, क्षेत्र दौरों, उद्योग संलग्नता आदि सहित **सभी प्रकार की शिक्षा के लिए क्रेडिट व्यवस्था करना**।

5. शैक्षणिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड

i. **पंजीकरण के लिए पात्रता:** राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) द्वारा अवार्डिंग निकायों (एबी) के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाएं और जिन्होंने करार पर हस्ताक्षर किए हैं, वे शैक्षणिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) में पंजीकरण के लिए पात्र हैं।

ii. **सक्रिय मान्यता अपेक्षाए:** किसी संस्था के पास एबीसी में अपने पंजीकरण के समय एनसीवीईटी में अवार्डिंग निकाय के रूप में सक्रिय और वैध मान्यता होनी चाहिए।

iii. **स्कूल बोर्ड और उच्चतर शिक्षा संस्थान:** अवार्डिंग निकायों के रूप में मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड और उच्चतर शिक्षा संस्थानों/ विश्वविद्यालयों को एबीसी में अलग से पंजीकरण करने की जरूरत नहीं है। उन्हें एबीसी में पंजीकरण के लिए संबंधित नियामक अथवा प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

iv. **अपार (एपीएएआर) आईडी की निरंतरता:** मौजूदा अपार आईडी वाले शिक्षुओं को शैक्षणिक और कौशल-आधारित शिक्षा के बीच परिवर्तन के समय नया आईडी बनाने की जरूरत नहीं होती। स्कूल बोर्डों, उच्चतर शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों अथवा अवार्डिंग निकायों जैसी संस्थाओं को ऐसे छात्रों के लिए, जिनके पास आईडी नहीं है, एक अपार आईडी बनाने को सुविधा प्रदान की जाएगी।

v. **प्रवेश और प्रशिक्षण अपेक्षाए:** पात्र होने के लिए पंजीकृत अवार्डिंग निकायों को शिक्षुओं को राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ संरेखित और राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) द्वारा अनुमोदित व्यक्तिगत कौशल अर्हताओं में प्रवेश देना होगा। उन्हें अर्हताओं, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस), नेनो क्रेडेंशियल (एनसी) अथवा माइक्रो क्रेडेंशियल (एमसी) के संबंध में प्रशिक्षण लागू करने के लिए एनसीवीईटी के मानकों का भी पालन करना होगा।

vi. **अवसंरचना और सामग्री प्रावधान:** एबीसी के पास पंजीकृत अवार्डिंग निकाय उपकरणों, उपस्करों सहित उपयुक्त अवसंरचना और उपकरणों, उपस्करों सहित उपयुक्त अवसंरचना की उपलब्धता सहित प्रस्तावित अर्हताओं के लिए सामग्री और प्रस्तावित अर्हताओं के लिए सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

vii. **सूचना और उपलब्धता:** मान्यता प्राप्त एबी द्वारा एक समर्पित वेबपेज रखा जाएगा, जिसमें शैक्षणिक क्रेडिट बैंक के बारे में सूचना, पैनल में शामिल प्रशिक्षण भागीदारों/ केंद्रों की एक सूची, सुविधा के प्रभावी उपयोग के लिए शिक्षुओं के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया, अपार आईडी बनाने के लिए दिशानिर्देश और एबीसी वेबसाइट के लिए एक लिंक के बारे में सूचना निहित होगी।

6. शैक्षणिक क्रेडिट बैंक : कार्यान्वयन कार्यविधि

i. **अनिवार्य पंजीकरण और निर्देशिका:** सभी एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों को एबीसी के पास पंजीकरण कराना होगा, जिसे इन निकायों की एक सक्रिय ऑनलाइन निर्देशिका रखनी होगी।

ii. **प्रशिक्षणार्थियों के पंजीकरण के लिए परामर्श और मार्गदर्शन :** प्रत्येक पंजीकृत अवार्डिंग निकाय द्वारा शिक्षुओं को परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करना, उन्हें एबीसी खाता खोलने में सहायता प्रदान करना और एक अपार आईडी बनानी होगी। उन्हें क्रेडिट परिभाषाओं, संचयन, हस्तांरण, रिडेम्प्शन और शैक्षणिक खाता बैंक खोलने, बंद करने और वैध करने के संबंध में प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षुओं को शिक्षित भी करना होगा। अवार्डिंग निकायों को निर्धारित क्रियाविधि का अनुसरण करते हुए एबीसी पर पंजीकरण करने और एक अपार आईडी बनाने के लिए एक वीईटीएस कार्यक्रम में पंजीकृत सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रोत्साहित करना होगा। प्रशिक्षण केंद्र/ भागीदार शिक्षुओं के लिए अपार आईडी खोलने में सहायता कर सकते हैं।

iii. **अर्हता और क्रेडिट प्राप्ति:** एबीसी पाठ्यक्रम/ अर्हता सफलतापूर्वक पूरी होने पर राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) स्तर की अर्हताओं और एनसीआरएफ द्वारा यथापरिभाषित अर्जित क्रेडिट प्वाइंट का दस्तावेज तैयार करेगा।

iv. **लचीलापन और क्रेडिट रिडेम्प्शन:** शिक्षु मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों (एबी) द्वारा क्रेडिट का रिडेम्प्शन करके क्रेडिट का उपयोग करते हुए प्रस्तावित किसी अर्हता, नौकरी की भूमिका, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस), माइक्रो क्रेडेंशियल (एमसी) अथवा नेनो क्रेडेंशियल का चयन कर सकते हैं। रिडेम्प्शन

(रिडीम) किए गए क्रेडिट को "रिडेम्प्शन (रिडीम) किए गए" के रूप में अंकित किया जाएगा ताकि उनका पुन: उपयोग न हो सके।

v. **क्रेडिट संचयन:** शिक्षु विभिन्न एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित वीईटीएस पाठ्यक्रमों में पंजीयन करके एनसीआरएफ के क्रेडिट संचयन सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए व्यावसयिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणालियों (वीईटीएस) में क्रेडिट संचित कर सकते हैं।

vi. **क्रेडिट वैधता और विनिमय:** छात्र के शैक्षणिक बैंक खाते में अर्जित और जमा किए गए क्रेडिट एनएसक्यूसी द्वारा नौकरी की भूमिकाओं/ शिक्षा इकाइयों के लिए निर्धारित अवधि के लिए वैध होंगे। इन क्रेडिट को एनसीआरएफ के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए एक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक समुल्यता के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। शैक्षणिक अर्हता के लिए रिडेम्प्शन किए जाने पर क्रेडिट को छात्र के एबीसी खाते में स्थायी रूप से जमा कर दिया जाता है।

vii. **अवार्ड के लिए पात्रता:** संस्थान द्वारा स्वीकार किए गए पूर्व निर्धारित शिक्षा परिणामों के माध्यम से एनसीआरएफ में क्रेडिट हस्तांरण के लिए कुल क्रेडिट आवश्यकता और पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले छात्र संबंधित अवार्ड के लिए पात्र होंगे, चाहे वह डिग्री हो, डिप्लोमा, उन्नत डिप्लोमा या प्रमाणपत्र हो। शिक्षु को प्रशिक्षण और मूल्यांकन, यदि लागू हो, पूरा होने के बाद प्रत्येक अर्हता के लिए एक अंक तालिका जारी की जाएगी।

viii. **क्रेडिट का रिडेम्प्शन:** एबीसी शिक्षुओं को उनके द्वारा 'प्रमाणपत्र, डिप्लोमा अथवा डिग्री के रूप में अर्जित किए गए क्रेडिट के रिडेम्प्शन का अनुरोध किए जाने पर उसकी अनुमति देने के लिए प्रक्रिया भी प्रदान करेगा। बोर्ड/ एचईआई/ एबीसी शिक्षुओं को उनके क्रेडिट के रिडेम्प्शन की पूर्व- निर्धारित प्रक्रिया / एसओपी के आधार पर, क्रेडिट प्रदान करेगा और "रिडेम्प्शन (रिडीम) किए गए" के रूप में पाठ्यक्रमों के प्रयुक्त क्रेडिट को अद्यतन करेगा।

ix. **पंजीकरण शुल्क:** मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों को केंद्र सरकार या परिषद् से अनुमोदन के अध्यधीन, एबीसी के लिए एक पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित होगा।

x. **शिक्षु ब्यौरों को अद्यतन करना:** अवार्डिंग निकाय परिणाम की घोषणा के 15 दिनों के भीतर एबीसी पोर्टल पर एक वीईटीएस अर्हता अथवा जॉब भूमिका को पूरा करने वाले शिक्षुओं के ब्यौरे अद्यतन करेगा। एबीसी को अद्यतन की संपूर्ण डिजिटल ट्रेल के साथ एबीसी पर उनके द्वारा अपलोड किए गए डेटा को अद्यतन करने की भी अनुमति होगी। शिक्षुओं के अद्यतन पर विचार करते समय शामिल किए जाने वाले महत्वपूर्ण ब्यौरे इस प्रकार है:

क. छात्रों का नाम और उनके अपार आईडी

ख. वीईटीएस अर्हता/ जॉब भूमिका/ एनओएस/ एमसी/ एनसी का नाम

ग. अर्जित एनएसक्यूएफ और एनसीआरएफ स्तर

घ. एक अर्हता/ जॉब भूमिका के लिए प्रदत्त क्रेडिट

ड. शिक्षु द्वारा अर्जित किए गए क्रेडिट

च. अर्जित किए गए क्रेडिट की वैधता

छ. एक पाठ्यक्रम में प्राप्त ग्रेड प्वाइंट/ अंक तालिका ताकि एक डिग्री/ डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र के लिए उत्तीर्ण दरों को संकलित किया जा सके

ज. पूर्ण की गई अर्हता के लिए अंक तालिका, यदि लागू हो

झ. प्रशिक्षण का माध्यम - ऑनलाइन/ आरपीएल/ ओडीएल आदि

ञ. क्या एक डिग्री के लिए पाठ्यक्रम में पहले से क्रेडिट का रिडेम्प्शन किया जा चुका है

ट. यथा निर्णीत कोई अन्य।

7. निगरानी, सहायता और गुणवत्ता आश्वासन

i. **अवार्डिंग निकाय की जिम्मेदारी:** मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय का यह कार्य है कि वह अपने क्षेत्राधिकार में शैक्षणिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) के विकास और प्रचालन की निगरानी रखें।

ii. **प्रशिक्षण और गुणवत्ता सुधार:** मान्यता प्राप्त अवर्डिंग निकाय एबीसी सुविधा के प्रदर्शन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और समावेशी/ बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, परामर्श, जांच और अन्य उपाय करें।

iii. **गुणवत्ता आश्वासन:** पंजीकृत अवार्डिंग निकाय अवार्डिंग निकाय द्वारा यथा निर्धारित एक सुव्यवस्थित तंत्र का उपयोग करते हुए प्रशिक्षण भागीदार/ केंद्र स्तर पर एबीसी के कार्यान्वयन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

iv. **वार्षिक सूचना:** प्रत्येक मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय अपने क्रियाकलापों के साथ-साथ एबीसी के संबंध में गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता रखरखाव और गुणवत्ता सुधार के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर डालते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।

v. **शिकायत निवारण तंत्र:** छात्रों की शिकायतों और अपीलों का निवारण करने के लिए केंद्रीय सरकार/ एनसीवीईटी/ शैक्षणिक क्रेडिट बैंक के स्तर पर और साथ ही एबीसी के पास पंजीकृत प्रत्येक मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय के भीतर एक शैक्षणिक क्रेडिट बैंक-शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा।

8. उल्लंघन के परिणाम

यदि कोई पंजीकृत अवार्डिंग निकाय इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित निर्धारित शर्तों अथवा अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, तो परिषद् संस्थान के लिए सुनवाई का एक उचित अवसर प्रदान करेगी। यदि अवार्डिंग निकाय दी गई समय अवधि के भीतर इन कमियों को दूर करने में विफल पाया जाएगा, तो परिषद् शैक्षणिक क्रेडिट बैंक के साथ संस्थान के पंजीकरण को समाप्त कर सकती है और उसे वापस भी ले सकती है।

9. व्याख्या

दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जारी की जाने वाली सभी अधिसूचनाएँ एनसीवीईटी के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी की जाएँगी। तत्काल/अतिलघु संशोधन एनसीवीईटी के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किए जाने अपेक्षित हैं तथा परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन किया जाएगा। इन दिशा-निर्देशों की व्याख्या के संबंध में किसी भी प्रश्न का समाधान परिषद् द्वारा किया जाएगा तथा मामले के संबंध में परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

अनुबंध

एसओपी में मौजूदा, फ्रेमवर्क, दिशानिर्देशों और दस्तावेजों से प्राप्त संदर्भ

1. यूजीसी द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) व्यापक समर्थकारी और मार्गदर्शी फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करेगा, जो सभी संगठनों और संस्थानों के लिए इन एसओपी और दिशानिर्देशों द्वारा पूरक होगा, एनसीआरएफ https://www.ugc.gov.in/Ncrf.aspx. पर उपलब्ध है। एनसीआरएफ में निम्नलिखित संदर्भों को इस एसओपी/ दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से समझने के लिए इस दस्तावेज के साथ देखा और पठन किया जा सकता है :

   i. खंड 3.2.5 - शिक्षण के घंटे - शिक्षण के घटक - विस्तृत घटक जिन पर क्रेडिट की गणना करने के लिए शिक्षण के नोशनल घंटों के भाग के रूप में विचार किए जाने की जरूरत है।

   ii. खंड 3.2.5, तालिका 2- उच्चतर शिक्षा, स्कूल और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल में विभिन्न शैक्षणिक ग्रेड में प्रति वर्ष शिक्षण के घंटों को विस्तार से बताया गया है।

   iii. खंड 3.2.9, तालिका 3 - विभिन्न शैक्षणिक ग्रेड/ व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल तथा मूल्यांकन बैंड और समतुल्यता के एनसीआरएफ स्तरों का विस्तार दिया गया है।

   iv. खंड 3.2.10, तालिका 1 - एनसीआरएफ में शिक्षण के तीन आयामों अर्थात शैक्षणिक शिक्षा (स्कूल और उच्चतर), व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल तथा संगत अनुभवजन्य शिक्षा और प्राप्त प्रवीणता/ व्यावसायिक स्तर के क्रेडिट की अपेक्षा पूरी करती है।

   v. खंड 3.3.2, पैरा 1 - तालिका 4, पैरा-II, तालिका 5, खंड 3.3.3 - तालिका 6: स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल में एनसीआरएफ स्तर और क्रेडिट प्रदानता का ब्यौरा दिया गया है।

   vi. खंड 3.3.4, तालिका 7 - समग्र क्रेडिट अर्जन की गणना सहित संगत अनुभव और व्यावसायिक/ प्रवीणता स्तर अर्जन के लिए प्रदत्त क्रेडिट

vii. खंड 3.4.1, तालिका 8 - राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) स्तरों और अनुरूपी शैक्षणिक स्तरों (राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क) और व्यावसायिक शिक्षा तथा स्कूल स्तर (राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क) और शैक्षणिक समतुल्यता के लिए शर्तों का संदर्भ दिया गया है।

2. एनसीआरएफ के प्रावधानों के अलावा, विभिन्न अन्य दिशानिर्देशों के निम्नलिखित प्रावधानों को भी देखें :

2.1. एनसीवीईटी द्वारा अधिसूचित संगत दिशानिर्देश :

i. राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) अधिसूचना (https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2023/07/National-Skills-Qualification-Framework-notification-June-2023.pdf)

क. खंड 5.1 और अनुबंध 1: विशिष्ट एनएसक्यूएफ स्तर पर शिक्षण के परिणामों को निर्धारित करने के लिए स्तर निरुपकों (लेवल डेस्क्रिप्चर) को समझना

ख. खंड 5.2 और 5.3 राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) और माइक्रो क्रेडेंशियल (एमसी) की परिभाषा देखें।

ग. खंड 5.4 और अनुबंध II : एक विशिष्ट एनएसक्यूएफ स्तर के लिए निर्धारित शिक्षण के परिणामों को हासिल करने के लिए आवश्यक अल्पावधिक और दीर्घावधिक प्रशिक्षण दोनों के लिए न्यूनतम प्रवेश मानदंड और नोशनल घंटों की न्यूनतम रेंज को स्पष्ट किया गया है।

ii. अवार्डिंग निकायों (एबी) की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश: https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2023/01/Guidelines-forAwarding-Bodies.pdf

iii. मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश: https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2023/01/Guidelines-for-Assessment-agencies.pdf)

iv. एनसीवीईटी द्वारा व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल के लिए मिश्रित शिक्षा के लिए दिशानिर्देश :

https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2023/01/Guidelines-for-Blended-Learning-forVocational-Education-Training-Skilling.pdf

v. एनसीवीईटी द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) और माइक्रो क्रेडेंशियल (एमसी) के विकास, अनुमोदन और उपयोग के लिए दिशानिर्देशः https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2023/07/Guidelines-for-Development-Approval-Usage-of-National-Occupational-Standards-NOS-Micro-Credentials-MC.pdf

vi. एनसीवीईटी द्वारा बहु-राष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) और अग्रणी भारतीय उद्योगों के कौशल और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों एवं अर्हताओं के क्रेडिट के लिए दिशानिर्देश :

vii. एनसीवीईटी द्वारा पूर्व शिक्षण (आरपीएल) की मान्यता के लिए दिशानिर्देशः https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2023/08/Final-RPLguidelines.pdf

viii. एनसीवीईटी द्वारा बहु-कौशल और क्रॉस सेक्टर कौशलों पर दिशानिर्देशः https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2023/01/Multiskilling-and-CrossSectoral-Skilling.pdf

ix. 20. व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल में डिप्लोमा अर्हताओं के लिए दिशानिर्देश:https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2023/05/DiplomaGuidelines 20230515.pdf

2.2 यूजीसी/ उच्चतर शिक्षा द्वारा अधिसूचित प्रमुख संगत दिशानिर्देश

i. अंडर ग्रेजुएट के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क दस्तवेज की तालिका 2-(प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत डिग्री प्रदान करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्रेडिटः https://www.ugc.gov.in/pdfnews/7193743 FYUGP.pdf

ii. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ): https://www.ugc.gov.in/NHEQF.aspx

iii. यूजीसी (उच्चतर शिक्षा में शैक्षणिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) की स्थापना और प्रचालन) विनियमन 2021:

https://www.ugc.gov.in/academic bank of credits.aspx

iv. स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क: (https://www.ugc.gov.in/pdfnews/3826733 Draft PG Curriculumn.pdf)

v. उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रमों में उनेक प्रवेश और निकास के लिए दिशानिर्देश

https://www.education.gov.in/sites/upload files/mhrd/files/upload docu ment/abc doc.pdf

vi. डिग्री कार्यक्रमों में अप्रेंटिशिप/इंटर्नशिप के प्रस्ताव के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए यूजीसी दिशानिर्देशः https://www.ugc.gov.in/pdfnews/9105852 ugc-guidelines ApprenticeshipInternship.pdf

vii. राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क के अंतर्गत कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशः https://www.ugc.gov.in/pdfnews/6556003-Guidelines-for-providing-SkillBased-Education-under-NSQF.pdf

2.3. स्कूल शिक्षा/एनसीईआरटी द्वारा अधिसूचित प्रमुख संगत दिशानिर्देश

i. स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्कः (https://ncert.nic.in/pdf/NCFSE-2023-August 2023.pdf)

क. स्टेज डिजाइन के संबंध में खंड 1.4 दर्शाता है कि कैसे स्कूल पाठ्यचर्या में पाठ्यचर्या क्षेत्रों सहित 4 स्टेज में बांटा गया है।

ख. अध्याय 9 व्यावसायिक शिक्षा और एकीकरण के संदर्भ में है।

ii. **स्कूल शिक्षा के लिए कक्षा 6 से 8 तक के लिए पीएसएससीआईवीई द्वारा 10 बैग रहित दिनों के लिए दिशानिर्देशः**

(psscive.ac.in/storage/uploads/others/Guideline/pdf/english/guideline-for10Baglessdays-in-School in English.pdf)